संख्या-295/2020/2906/41-2020-99यो0/2013 टी0सी0(ए)

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर,2020**

विषय- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-164/प्रो-पुअर परि0/2020, दिनांक 12 अक्टूबर ,2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास की परियोजना हेतु आय-व्ययक मे इस मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़) के सापेक्ष रू0 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-181/2020/1960/41-2020-99 यो0/2013 टी0सी0(ए) दिनांक 17 अगस्त 2020 के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास की परियोजना हेतु आय-व्ययक मे इस मद में अवशेष धनराशि रू0 48.00 करोड़ (रूपये अड़तालिस करोड़) के सापेक्ष रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 2784/41-2013-99 यो0/2013, दिनांक 11.10.2013, शासनादेश सं0 75/3054/41-2014-99 यो0/2013, दिनांक 13.12.2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप सं0 3734/41-2015-99 यो0/2013, दिनांक 17.12.2015 में किये गये प्राविधानों/शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु व्यय की आवश्यकतानुसार ही वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत ही आहरित की जायेगी तथा कोषागार से आहरित धनराशि के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्ययों का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष के संगत मद में उपलब्ध प्रावधान से सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-136/41-2018-99 यो0/2013 दिनांक 07 फरवरी 2018 में दिये गये परामर्श/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(8)(ड) में दी गयी व्यवस्था 'निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यक्तानुसार निर्गत की जाय। वित्त नियन्त्रक का उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय' इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रायोजना का सक्षमस्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों को महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व व्यय के मदों का निर्धारण सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक पर्यटन का होगा।

(9) उक्त परियोजना हेतु पूर्व में निवर्तन पर रखी गई धनराशियों का शतप्रतिशत उपयोग परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेशों एवं निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार कर लिये जाने तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त होने पर संतुष्ट होने के पश्चात ही उपर्युक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व परियोजना से सम्बन्धित/नामित अधिकारियों एवं वित्त नियत्रक पर्यटन निदेशालय का होगा।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित करते हुए राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो। परियोजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्ति के रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग पूजीगत मदों यथा कन्स्ट्रक्सन्स/सिविल वर्क्स/परचेज से सम्बन्धित मदों पर धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व बजट मैनुअल एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं परियोजना के निर्धारित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी तथा यथावश्यकता शासन एवं वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा साथ ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत नियमों/ शासनादेशों के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर ही सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना तथा निवर्तन पर रखी जा रही उक्त धनराशि के व्यय का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे भी अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे एवं उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि व्यय किये जाने में सोशल आडिट के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(14) प्रायोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यो से इतर तथा निर्माण कार्यो में व्यय की गयी धनराशि का प्रामाणिक विवरण प्राप्त करते हुए महानिदेशक पर्यटन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि धनराशि का व्यय शासन के निर्देशों तथा संगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया गया है। योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के डी0पी0आर0 के अप्रेजल आदि की कार्यवाही संगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने की पुष्टि भी कर ली जायेगी तथा यदि इस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो तो अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(15) प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में मुख्य परियोजना निदेशक, अपर मुख्य परियोजना निदेशक, परियोजना निदेशक एवं परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन मुख्य परियोजना निदेशक, अपर मुख्य परियोजना निदेशक, परियोजना निदेशक एवं परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना द्वारा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए यही उत्तरदायी होंगे।

4. प्रस्तर-3 में निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-97-वाहय सहायतित परियोजनायें-9701-आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-1309/दस-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-295/2020/2906(1)/41-2020-99यो0/2013 टी0सी0(ए) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- सचिव, आर्थिक कार्य मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/आवास एवं शहरी नियोजन/ नियोजन/संस्कृति/वाहय सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य परियोजना निदेशक/अपर मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशक एवं परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-7 ।
11- कन्ट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक, नई दिल्ली।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in